न्यायालय– समाहर्त्ता, सहरसा।

वासगीत अपील वाद संख्या– 206 / 2012–13
सफीद मियॉं बनाम बालेश्वर शर्मा एवं अन्य

आदेश

प्रस्तुत वासगीत अपील अपीलार्थी सफीद मियॉं द्वारा वासगीत वाद संख्या– 08 / 2011–12 में दिनांक– 10.10.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि केवाला संख्या– 4237 दिनांक– 11.03.1972 से मुस्लिम मियॉं (2) सफीद मियॉं, (3) नसीर मियॉं, (4) छेदी मियॉं उर्फ जमरूद्दीन मियॉं के नाम निम्नांकित विवरणी का जमीन खरीद किया गया था।

मौजा– आरण, थाना नं0– 176, तौजी न0– 5033

खाता	खसरा	रकवा	चौहद्दी
80	पुराना– 1017 नया– 1777	बीघा कट्ठा धूर धुरकी 0 – 04 – 08 – 12	उत्तर– मेही ताती एवं मोती ताती दक्षिण– सुव्रतो चौधरी मियॉं पूरब– सुव्रतो मियॉं, रामेश्वर मरड पश्चिम– नीज एवं दीगर हिस्सेदार

यह कायमी जोत भूमि विक्रेता हरेकृष्ण लाल दास एव तुला कृष्ण लाल दास, साकिन व थाना– वनगॉव से खरीदा गया।

आगे अपीलार्थी ने कहा कि अपीलार्थी के पिता घृथर मियॉं (जीवित) एवं चाचा शेखावत मियॉं (मृत) तथा कलर मियॉं (जीवित) ने केवल कृष्ण लाल दास, (2) नवल कृष्ण लाल दास, (3) हरेकृष्ण लाल दास, (4) तुला कृष्ण लाल दास, (5) जय कृष्ण लाल दास सभी साकिन व थाना– बनगॉव से निम्नांकित विवरण का जमीन क्रय किया था–

मौजा– आरण, थाना नं0– 176, तौजी न0– 5033

खाता	खसरा	रकवा	चौहद्दी
80	पुराना– 1017 नया– 1777	बीघा कट्ठा धूर धुरकी 0 – 3– 05 – 13	उत्तर– मोती ताती दक्षिण– चौधरी तॉंती, पूरब– रामेश्वर मंडल पश्चिम– सड़क

इस तरह अन्य जमीनों को मिलाकर कुल एक बीघा 15 कट्ठा, 6 धूर, 13 धूरकी जमीन आवेदक के पिता एवं चाचा द्वारा खरीद की गयी थी, जिस पर उनका कब्जा है तथा वे खेतीबारी करते हैं।

उपरोक्त केवाला नं०– 4237 दिनाक– 11.03.1974 से यह स्पष्ट है कि सफीद मियॉं केवल एक कट्ठा 2 धूर 3 धुरकी खेसरा संख्या– 1717 पुराना 1077 नया में हिस्सा हैं तथा उनके सगे भाई मुस्लिम मियॉं का एक कट्ठा 2 धूर 3 धूरकी तथा उनके चचरे भाई नसीर मियॉं एवं छेदी उर्फ जमरूद्दीन का क्रमशः 1 कट्ठा 2 धूर 3 धुरकी एवं 01 कट्ठा 02 धुर 03 धुरकी जमीन जो केवाला संख्या– 4237 दिनांक– 11.03.1974 से प्राप्त है हिस्सा हैं। केवाला संख्या– 695 दिनाक– 08.01.74 से प्राप्त जमीन में अपीलार्थी के पिता धूथर मियॉं (जीवित) का एक कट्ठा 2 धूर शेखावत (मृत) के पुत्र सगीर मियॉं एवं सदीक मियॉं के हिस्से में एक कट्ठा 2 धूर एवं कलर मियॉं के हिस्से में एक कट्ठा 2 धूर जमीन है।

अपीलार्थी एव उनके सगे भाई, चचेरे भाई सभी आधा एकड जमीन से कम रखने के कारण प्रश्रय प्राप्त रैयत हैं। पूर्व में आवेदक के पिता एव चाचा भू–विक्रेता के करपरदार एवं बटाईदार थे। अपीलार्थी जिसका ननिहाल बनगॉव था और भू–स्वामी से उनके परिवार के साथ मामा नाना का संबंध था। इसलिए उक्त जमीन अपीलार्थी एवं उनके परिवार के सदस्यों को बेचा गया। प्रतिपक्षी का परिवार का विक्रेता से कोई संबंध नहीं था और प्रतिपक्षी का उक्त जमीन पर कभी कोई कब्जा नहीं था। प्रतिपक्षी बालेश्वर शर्मा का भतीजा सुरेन्द्र शर्मा विवादित जमीन खाता– 1017 पुराना, खेसरा– 1777, नया केवाला न0– 12308 दिनांक– 09.08.2010 रकवा एक कट्ठा 12 धूर 10 धूरकी विवादित जमीन चचेरे भाई जीमरूद्दीन उर्फ छेदी मियॉं से खरीद कर उस पर घर बनाकर रहने लगा। केवाला न0– 14088 दिनाक– 19.11.2010 द्वारा मो0 कीयान पुत्र स्व0 नसीर मियॉं से एक कट्ठा धूर जमीन खाता संख्या पुराना, खेसरा न0– 1017 पुराना एव 177 नया प्रतिपक्षी बालेश्वर शर्मा एवं उनकी पत्नी सुशीला देवी अपने पुत्रों के नाम जमीन क्रय कर जमीन का किस्म वासावास दिखाते हुए इस पर मकान बना लिया है। प्रतिपक्षी द्वारा अपीलार्थी के जमीन पर कब्जा करना प्रारम्भ कर देन पर अपीलार्थी द्वारा

11.3.18

दिनांक– 07.04.2012 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में बिहार लैण्ड डीसप्यूट एक्ट 2009 एवं रूल 2010 के तहत प्रतिपक्षियों के अवैध कब्जा से जमीन को मुक्त करने हेतु मुकदमा किया गया। उक्त वाद में अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी उनके भाई मुस्लिम मियाँ एवं पिता– घूथर मियाँ के चौहद्दी का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मुकदमें का एडमीशन हो जाने पर प्रतिपक्षी बालेश्वर शर्मा एवं संजय शर्मा से मई 2012 में कारण–पृच्छा की मांग न्यायालय द्वारा की गयी। फलतः प्रतिपक्षी अंचल निरीक्षक, कर्मचारी एवं अंचल अमीन के सांठ–गाठ कर गलत प्रतिवेदन पीछे की तिथि में समर्पित करवा दिया, जिस कारण प्रतिपक्षी सुशीला देवी, पति– बालेश्वर शर्मा एवं एवं माता ने सजय शर्मा के नाम वासगीत पर्चा निर्गत कर दिया गया, ताकि प्रावधान को मात दिया जा सके।

अपीलार्थी, उनके सगे भाई मुस्लिम मियाँ, पिता– घूथर मियाँ एवं चाचा कलर मियाँ एवं सभी चचेरे भाई जो अपीलार्थी हैं, प्रश्रय प्राप्त रैयत है न कि प्रतिपक्षी प्रश्रय प्राप्त रैयत हैं। जब केवाला संख्या– 14088 दिनांक– 09.11.2010 से जमीन का क्रय किया गया था, उस समय उक्त जमीन के आस–पास प्रतिपक्षी का कोई नामोनिशान नहीं था, और ऐसी स्थिति में अंचल निरीक्षक, कर्मचारी एवं अमीन का यह कहना कि उकत जमीन पर 15–20 वर्षों से प्रतिपक्षी रह रहे हैं कितना गलत हैं। यह केवाला के अवलोकन से स्पष्ट हो जायगा। संजय शर्मा का केवाला नं0– 14088 दिनांक– 09.11.2010 प्रतिपक्षियों के नाम मो0 कयाम, पिता– स्व0 नसीर मियाँ द्वारा पूर्व का केवाला– 4237 वर्ष 1972 को संदर्भित कर लिखा गया है, जिसमें नसीर मियाँ, पिता– कलर मियाँ, जिसमें आवेदक के चचेरा भाई भी एक खरीददार हैं। नसीर मियाँ के मृत्यु उपरान्त उनके पुत्र मो0 कयाम अपने हिस्से की जमीन केवाला द्वारा प्रतिपक्षियों को बिक्री कर दिया। केवाला संख्या– 4237/1972 के बिक्रेता हरेकृष्ण लाल दास एवं तुला कृष्ण लाल दास, पिता– स्व0 शशी लाल दास हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि शशीलाल दास की मृत्यु 1972 के पहले हो चुकी थी, तब अंचलाधिकारी ने अपने आदेश में यह कैसे उद्धृत किया हैं कि दिनांक– 24.09.2011 को शशी लाल दास पर इसकी तामिला करा दी गयी है। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है। इस तरह पीछे की तिथि मे प्रावधान को मात देने के उद्देश्य से आदेश पारित किया गया है, जबकि प्रावधान धारा– 2(झ)(1) प्रश्रय प्राप्त रैयत के बारे में स्पष्ट किया गया है। साथ हीं यह भी उल्लिखित है कि जिन्हें बासगीत के अलावे भूमि न हो अथवा एक एकड़ से कम भूमि हो।

अग्रतर अपीलार्थी ने कहा है कि प्रतिपक्षी ने केवाला नं0– 14088 दिनांक– 09.11.2010 द्वारा संजय शर्मा पुत्र के नाम जमीन खरीदी है, जबकि प्लाट 1017 पुराना एवं 1777 नया के चौहद्दी में दिनांक– 09.11.2010 कहीं भी सुशीला देवी या बालेश्वर शर्मा का नाम अंकित नहीं हैं। एक कट्ठा 2 धूर के लिए निर्गत वासगीत पर्चा में उत्तर– झांबी तांती दिखलाया गया है, जो गलत हैं। उत्तर– मोती ताती हैं। इसी तरह दक्षिण में सुलतान मियाँ लिखा गया है, जो गलत हैं तथा दक्षिण भोली तांती हैं। सुरेन्द्र शर्मा एवं संजय शर्मा के नाम लिये गये केवाला मे बाउण्ड्री पूर्णतया गलत हैं। अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि बालेश्वर शर्मा एवं कौशल्या देवी के नाम निर्गत बासगीत पर्चा प्रावधान के विपरीत, गलत नीयत के निर्गत किया गया हैं। अग्रतर अपीलार्थी का कहना है कि वे अत्यन्त निर्धन हैं एवं अवैध वासगीत पर्चा से निजात पाने में समर्थ नहीं हैं। अन्ततः अपीलार्थी ने निर्गत वासगीत पर्चा को निरस्त करने की याचना की हैं।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी की ओर से अपने कथन के हवाले में कोई कागजी सबूत दाखिल नहीं किया गया, जिसके कारण उनके द्वारा किया गया कथन प्रमाणित नहीं होता हैं।

दूसरी ओर अंचल अधिकारी, सत्तरकटैया से प्राप्त वासगीत पर्चा अभिलेख संख्या– 08/11–12 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचलाधिकारी, सत्तरकटैया के द्वारा राजस्व कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के द्वारा स्वयं स्थल जॉच किया गया तथा पाया गया कि प्रतिपक्षी बालेश्वर शर्मा, पिता– लुरक शर्मा प्रश्नगत भूमि मौजा– आरण, खाता– 80, खेसरा– 1017/1777 रकवा– 05 डी० पर 15–20 वर्षो से घर बनाकर रह रहे हैं, जिसके आधार पर प्रतिपक्षी को वासगीत पर्चा निर्गत करने की स्वीकृति दी गयी।

इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा वासगीत पर्चा अभिलेख संख्या– 08/11–12 में पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होता हैं। अतः अपील वाद खारीज किया जाता हैं।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

11.3.18

समाहर्त्ता,
सहरसा।

11.3.18

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 450-2 / विधि, सहरसा, दिनांक– 11-3-17.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए अंचल अधिकारी, सत्तरकटैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
11.3.17